

कार्यालय ^{नायक} तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खीसवाली

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदिम जाति के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे केन्द्रों में किया जाने वाला प्रमाण पत्र

जाति का प्रमाण पत्र

क्रमांक:- 926

दिनांक:- 9/9/15

प्रार्थी/प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं हल्का पटवारी

खीसवाली की रिपोर्ट के आधार पर :-

यह प्रमाणित किया जाता है कि अजय
पुत्र/पुत्री/पत्नी / श्री मोती लाल निवासी खीसवाली
तहसील मांगरोल जिला झरूं डिवीजन कोय
राज्य राज० जो बाबरिया (S.C) समुदाय के सदस्य है जो

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश 1956 संविधान अन्डमान व निकोबार अनुसूचित जाति आदेश 1959 के अर्न्तगत एक अनुसूचित जाति /आदिम/अनुसूचित जन जाति मानी जा चुकी है ।

श्री अजय और इसका परिवार साधारण नगर खीसवाली - एवं राज्य क्षेत्र राज० के जिला झरूं के निवासी है ।



13/9/15
नायक तहसीलदार
हस्ताक्षर
अजय मोती लाल (राज०)

कार्यालय की मोहर
राज्य संघ राज्य क्षेत्र

नोट:- यहाँ प्रयोग किये गये साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो कि रिप्रेजेन्टेशन ऑफ़ दी पीपुल्स एक्ट 1950 की धारा 20 में है ।